भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 702

दिनांक 26 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

समेकित बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) के अंतर्गत इकाई लागत में वृद्धि

702. श्री सुदामा प्रसाद:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के अंतर्गत वर्ष 2017 में किए गए संशोधन के अनुसार इकाई लागत सामान्य बच्चों के लिए प्रतिदिन 8.0 रुपये प्रति लाभार्थी और गर्भवती/नर्सिंग माताओं/किशोरियों के लिए 9.50 रुपये प्रति लाभार्थी प्रतिदिन और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए 12.00 रुपये है, जो कि पूर्णत: अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का कुपोषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इन इकाई लागतों में संशोधन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देश में प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र भवन (एडब्ल्यूसी) वर्ष 2011 मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) क्या सरकार का प्रत्येक आंगनवाड़ी भवन में अधिदेशित मानदण्डों के अनुसार अवसंरचना की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आईसीडीएस के अंतर्गत आबंटन में वृद्धि करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ग) : पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) के माध्यम से पोषण संबंधी सहायता मिशन पोषण 2.0 के अभिन्न घटकों में से एक है, जिसके तहत बच्चों (06 महीने से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यूएलएम) और किशोरियों (14 से 18 वर्ष) को पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। यह स्कीम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से लागत हिस्सेदारी के आधार पर केन्द्र और विधानमंडल वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 50:50 के अनुपात में कार्यान्वित की जाती है (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 और विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100%)।

पूरक पोषण के लिए लागत मानदंडों को 2017 में संशोधित किया गया था, जिसमें बच्चों (6 महीने से 6 साल) के लिए 8 रुपये, गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों (6 महीने से 6 साल) के लिए 12 रुपये और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों के लिए 9.50 रुपये का प्रावधान किया गया था।

(घ) और (ड.) : मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत पांच वर्षों की अवधि में 10000 आंगनवाड़ी केन्द्र प्रति वर्ष की दर से 50,000 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण का प्रावधान है। मनरेगा के साथ अभिसरण से आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लागत मानकों को 7 लाख रु प्रति आंगनवाड़ी केंद्र से बढाकर 12 लाख रु प्रति आंगनवाड़ी केंद्र कर दिया गया है, जिसमें प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र मनरेगा के अंतर्गत 8.00 लाख रु, 15वें वित्त आयोग (अथवा किसी अन्य आबद्ध निधियों) के अंतर्गत 2.00 लाख रु तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2.00 लाख रु जिसे निर्धारित लागत भागीदारी अनुपात में केन्द्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वहन किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए विभिन्न स्कीमों जैसे संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ), पंचायती राज संस्थाओं को वित्त आयोग अनुदान, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम आदि से निधियां प्राप्त करना जारी रखें।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निदेश जारी किए गए हैं कि वे बिना पर्याप्त अवसंरचना के किराए पर चल रहे आंगनवाड़ी केन्द्रों को निकटवर्ती प्राथमिक स्कूलों जहां स्थान उपलब्ध है, में सह-स्थापित करें।

आंगनवाड़ी केंद्रों की अवसंरचना सुविधाओं में सुधार करने के लिए मंत्रालय ने आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल सुविधाओं एवं शौचालयों के निर्माण की लागत को क्रमश 10,000/- रु. से बढ़ाकर 17,000/- रु. तथा 12,000/- रु से बढ़ाकर 36,000/- रु कर दिया है।

15वें वित्त आयोग के चक्र के दौरान, बेहतर पोषण वितरण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत किया जाना है। सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों को पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों की तुलना में बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाना है जिसमें इंटरनेट/वाई-फाई कनेक्टिविटी, एलईडी स्क्रीन, जल शोधक/आरओ मशीन की स्थापना और स्मार्ट लर्निंग उपकरण शामिल हैं।

****